



वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड – 246123

विज्ञापित सं० – UUHF/DNT/F.No.01/01 of 2018

दिनांक - 25-05-2018

नियुक्ति हेतु विज्ञापन

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में गैर-शैक्षणिक पदों हेतु निर्धारित प्रारूप में योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निम्नवत् तालिका अनुसार आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर, समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियों, जाति-प्रमाण पत्र (जो उत्तराखण्ड के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग हेतु उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त एवं निर्धारित प्रारूप में हो), पासपोर्ट आकार के फोटो (स्वप्रमाणित) तथा उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के वित्त नियंत्रक, के पक्ष में पंजाब नेशनल बैंक, पौड़ी (कोड नं० 1370) में भुगतान योग्य रू० 500/- सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग एवं रू० 250/- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु, रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा आवेदन शुल्क, के साथ स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा अन्तिम तिथि 25/06/2018 तक कुलसचिव, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी, टिहरी गढ़वाल क पते पर पहुंच जाने चाहिए। अपूर्ण व अस्पष्ट रूप से भरे गये, स्वयं/ई-मेल/फैक्स/कोरियर या अन्य किसी माध्यम से भेजे गये अथवा अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

तालिका- 1. श्रेणीवार पदों का विवरण

क्र०सं०	पदनाम	श्रेणीवार पदों का विवरण				
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	योग
1	सहायक निदेशक निर्माण एवं सयंत्र	-	-	-	01	01
2	सहायक कुलसचिव	-	-	-	01	01
3	लेखाकार	01	-	-	04 (01 अना० महिला, 03 अनारक्षित)	05
4	अवर अभियन्ता	01	-	-	01	02
5	फील्ड टैक्नीशियन	01	-	-	01	02
6	कम्प्यूटर	-	-	-	01	01
7	सहायक लेखाकार	02 (01 अनु० जाति, 01 अनु० जाति महिला)	-	-	04 (01 अना० महिला, 03 अनारक्षित)	06
8	कनिष्ठ सहायक	-	-	-	01	01
9	लेखा-लिपिक	01	-	-	02 (01 अना० महिला, 01 अनारक्षित)	03
10	फिटर	-	-	-	01	01
योग		06	-	-	17	23

तालिका- 2. पदों का पूर्ण विवरण

क्र० सं०	पदनाम	आयु सीमा	वेतन मान/ ग्रेड वेतन	शैक्षिक अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
01	02	03	04	05
1.	सहायक निदेशक निर्माण एवं सयत्र	21 से 42 वर्ष	15600-39100 / 5400	अनिवार्य: (1) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी०ई०/बी०टेक० की उपाधि के साथ राष्ट्रीय अथवा राज्य सरकार के विभाग/संस्थान/निगम में भवनों के निर्माण एवं रख-रखाव कार्य में न्यूनतम 02 वर्ष का कार्यानुभव। अथवा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ राष्ट्रीय अथवा राज्य सरकार के विभाग/संस्थान/निगम में न्यूनतम 08 वर्ष का कार्य अनुभव।
2.	सहायक कुलसचिव	21 से 42 वर्ष	9300-34800 / 4200	अनिवार्य: 1. विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा का समुचित ज्ञान। 2. किसी विश्वविद्यालय/सरकारी विभाग में हिन्दी तथा अंग्रेजी में पत्र लेखन तथा लेखा नियमों के अनुरूप कार्य करने का कम से कम 07 वर्ष का कार्यानुभव। 3. कम्प्यूटर का समुचित ज्ञान।
3.	लेखाकार	21 से 42 वर्ष	9300-34800 / 4200	अनिवार्य: (1) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी०कॉम० अथवा पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा-इन एकाउन्टसी की अर्हता के साथ कम्प्यूटर संचालन में ओ० लेवल सर्टिफिकेट जिसमें कम्प्यूटर पर टंकण की गति 4000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा अनिवार्य। (2) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्य संस्थान से कम्प्यूटर का एक वर्ष का डिप्लोमा। अधिमानी: किसी विश्वविद्यालय/राजकीय संस्थान/विभाग में सहायक लेखाकार के पद पर न्यूनतम 03 वर्ष का कार्यानुभव।
4.	अवर अभियन्ता	21 से 42 वर्ष	9300-34800 / 4200	अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।
5.	फील्ड टैक्नीशियन	21 से 42 वर्ष	9300-34800 / 4200	अनिवार्य: विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के साथ कृषि प्रक्षेत्र में कार्य करने का 02 वर्ष का कार्यानुभव तथा ट्रैक्टर, पॉवर ट्रिलर तथा अन्य के संचालन के अनुभव को वरीयता।
6.	कम्प्यूटर	21 से 42 वर्ष	9300-34800 / 4200	अनिवार्य: विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में बी०ई०/ बी०टेक०/ एम०सी०ए०/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स की स्नातक उपाधि।
7.	सहायक लेखाकार	21 से 42 वर्ष	5200-20200 / 2800	अनिवार्य: (1) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी०काम० की उपाधि। (2) भारत सरकार/राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा अथवा ओ श्रेणी का प्रमाण पत्र। (3) किसी राजकीय शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय में सम्बन्धित क्षेत्र में 02 वर्ष का कार्यानुभव।
8.	कनिष्ठ सहायक	18 से 42 वर्ष	5200-20200 / 2000	अनिवार्य: विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष। हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट अथवा अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। अधिमानी: विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि रखने वाले तथा हिन्दी/अंग्रेजी दोनों टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता।

9.	लेखा-लिपिक/ कनिष्ठ लेखा लिपिक	18 से 42 वर्ष	5200-20200 / 1900	अनिवार्य: वाणिज्य में इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष। अधिमानी: सम्बन्धित क्षेत्र में न्यूनतम 02 वर्ष का कार्यानुभव/सम्बन्धित विषय में स्नातक उपाधिधारक को वरीयता।
10.	फिटर	18 से 42 वर्ष	5200-20200 / 1900	अनिवार्य: सम्बन्धित क्षेत्र में आई0टी0आई0 सर्टीफिकेट के साथ 02 वर्ष का कार्यानुभव। अधिमानी: विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/सरकारी विभाग में सम्बन्धित कार्य में न्यूनतम 02 वर्ष के कार्यानुभव को वरीयता।

नोट: क्रम सं० 02 पर विज्ञापित पद पूर्व में भी विज्ञापित किया गया था। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया गया था उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, वे मात्र पूर्व आवेदन पत्र की सूचना अद्यतन (UPDATE) भेजने का कष्ट करें।

आयु: आयु गणना की निश्चयक तिथि 01.01.2018 है। प्रत्येक पद हेतु आयु सीमा विज्ञापित तालिका-2 के स्तम्भ संख्या 03 में उल्लिखित है, परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चयन प्रक्रिया में लिए जाने वाले साक्षात्कार/लिखित परीक्षा/प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:

पद संख्या 01 – सहायक निदेशक निर्माण एवं सयंत्र पद हेतु चयन प्रक्रिया विश्वविद्यालय को परिनियमावली और विश्वविद्यालय सेवा-नियमावली के आधार पर होगी। इस पद हेतु अभ्यर्थियों को Shortlist कर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों को Shortlist करने हेतु एक लिखित परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है तत्पश्चात् उन्हें साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। लिखित परीक्षा पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित विषय के अनुरूप होगी।

पद संख्या 02 – सहायक कुलसचिव पद हेतु चयन प्रक्रिया निम्नवत् होगी –

चयन के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें हिन्दी तथा अंग्रेजी में पत्र लेखन एवं लेखा नियमों से सम्बन्धित प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा के उपरान्त 50 अंकों का साक्षात्कार होगा। मेरिट सूची अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़कर बनाई जायेगी। चयन, मेरिट के आधार पर किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक हो तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम मेरिट सूची में ऊपर रखा जायेगा, यदि लिखित परीक्षा में भी समान अंक हों तो अधिक आय के अभ्यर्थी का नाम मेरिट सूची में ऊपर रखा जायेगा।

पद संख्या 03 से 10 – पद संख्या 03 से 10 हेतु चयन प्रक्रिया निम्नवत् होगी –

चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की एक लिखित परीक्षा 02 घंटे की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन एवं पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप का एक प्रश्न-पत्र होगा।

वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) की लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा। अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका की डुप्लिकेट कॉपी एवं प्रश्न पत्र अपने साथ ले जा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा। ओ0एम0आर0 शीट में वाईटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचने/छेड़छाड़ के लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जायेगा। अभ्यर्थी अपनी ओ0एम0आर0 शीट में गलत रोल नम्बर अथवा गलत बुकलेट सीरिज डालता है तो उसकी ओ0एम0आर0 शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा। चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा। चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों से मेरिट के आधार पर किया जायेगा। दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में पहले निर्धारित अधिमानी अर्हता एवं तत्पश्चात् उनकी आयु के आधार पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम मेरिट सूची में ऊपर रखा जायेगा।

पद संख्या 03 हेतु कम्प्यूटर पर टंकण की 4000 Key Depressions प्रति घंटे की गति तथा पद संख्या 08 हेतु कम्प्यूटर पर टंकण की 30 शब्द प्रति मिनट हिन्दी तथा 40 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी टंकण की गति अनिवार्य होगी। उक्त

परीक्षा 50 अंकों की होगी। जिन अभ्यर्थियों ने विहित न्यूनतम गति प्राप्त की होगी, उनको ही अंक दिये जायेंगे। मेरिट सूची अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर टंकण में प्राप्त अंकों को जोड़कर बनाई जायेगी। चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक हों ता लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम मेरिट सूची में ऊपर रखा जायेगा, यदि लिखित परीक्षा में भी समान अंक हो तो अधिक आयु के अभ्यर्थी का नाम मेरिट सूची में ऊपर रखा जायेगा।

नियम एवं शर्तें:

1. उपरोक्त रिक्त पदों (पद संख्या 01 व 02 को छोड़कर) पर आवेदन हेतु अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड का मूल निवासी तथा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि तक पंजीकरण एवं वैधता होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र तथा सेवायोजन कार्यालय पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है। (शासनादेश संख्या 72/XXX(2)/2014 दिनांक 10 फरवरी, 2014) शासन के पत्रांक 809/XXX(2)/2010-3(1)/2010, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों का निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।"
2. आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, सेवायोजन पंजीकरण की वैधता, आरक्षण की श्रेणी व उपश्रेणी को सावधानी पूर्वक पढ़कर यह सुनिश्चित कर ले कि वह आवेदन किए जाने वाले पद के लिए सभी तरह से योग्य है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की दशा में अंतिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त हो जायेगा।
3. उपरोक्त पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदन हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह आशय नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है। यदि अंतिम चयन के बाद किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वीकार करने योग्य नहीं था अथवा प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त किया जाना चाहिए था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे अभ्यर्थी के अंतिम चयन हेतु की गई समस्त संस्तुतियां स्वतः समाप्त समझी जायेंगी।
4. अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।
5. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
6. यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
7. यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे पृथक-पृथक पदों हेतु पृथक-पृथक शुल्क के साथ पृथक-पृथक आवेदन पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं किया जायेगा।
8. अधूरे आवेदन-पत्र तथा आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित अपने मूल प्रारूप में समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों एवं फोटोग्राफ सहित होना चाहिए अन्यथा आवेदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत/ स्पीड डाक द्वारा ही स्वीकार्य होंगे। डाक द्वारा हुई देरी के लिये विश्वविद्यालय प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा।
9. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाये गये विवरण में, बाद में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन का अनुरोध किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा।
10. रिक्त पदों को भरे जाने अथवा न भरे जाने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित होगा।
11. आवेदन-पत्र के लिफाफे के ऊपर **विज्ञापन संख्या, पद का नाम, श्रेणी** उल्लेखित किया जाना अनिवार्य है।
12. भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नीति राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप लागू होगी।

13. संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध के सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
14. **वैवाहिक प्रास्थिति:** पुरुष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हों, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

15. केन्द्रीय/ राज्य सरकार के विभाग/ प्रतिष्ठान में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र उचित माध्यम से भेजने होंगे, जिसमें यह उल्लेख हो कि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक/ विजिलेंस मामला नहीं चल रहा है।
16. जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जायेंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/ अर्हता/ पात्रता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
17. अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार की सिफारिश करवाना उसकी अयोग्यता को दर्शाता है जिसके फलस्वरूप उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जायेगा
18. सभी विवादों क न्यायिक क्षेत्र जिला-पौड़ी, उत्तराखण्ड एवं उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के अधीन होंगे।
19. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि विज्ञापन सम्बन्धी सूचना के लिये नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाईट (www.uuhf.ac.in) को देखते रहें।

कुलसचिव



आवेदन पत्र का प्रारूप

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड – 246123

विज्ञापन संख्या: आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि:	पंजीकरण संख्या (केवल कार्यालय हेतु)	नवीनतम पासपोर्ट आकार का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ चस्पा करें
--	--	--

आवेदन शुल्क का विवरण:

बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक	धनराशि	बैंक का नाम	शाखा का नाम

1. आवेदित पद का नाम :
2. आवेदक का पूरा नाम : (हिन्दी में)
(अंग्रेजी में BLOCK LETTERS)
3. जन्म तिथि :
4. आयु (01.01.2018 को):..... वर्ष माह दिन
5. पिता/ पति का नाम :
6. माता का नाम:
7. पत्र व्यवहार का पता, दूरभाष तथा ई-मेल (यदि हो) :
8. स्थाई पता :
9. राष्ट्रीयता :
10. लिंग :
11. श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछडा वर्ग):

12. सेवायोजन कार्यालय का नाम जहाँ पंजीकरण है
- पंजीकरण/ नवीनीकरण संख्या एवं दिनांक
- पंजीकरण वैधता की तिथि

13. शैक्षिक योग्ताएं:

क्र०सं०	परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय	वर्ष	अंक प्रतिशत	प्रमुख विषय
1	हाईस्कूल				
2	इण्टरमीडिएट				
3	स्नातक				
4	स्नातकोत्तर				
5	अन्य				

14. सेवा विवरण, यदि हो (वर्तमान पद से प्रारंभ करते हुए)

क्र० सं०	पद का नाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	सेवा अवधि		विभाग / संस्था का नाम	संक्षिप्त कार्य विवरण
				से	तक		

15. अंतिम आहरित वेतन (रु०/माह) : वेतन बैण्ड.....मूल वेतन.....
- ग्रेड वेतन मंहगाई भत्ता अन्य भत्तेकुल आहरित वेतन

घोषणा

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....

एतद् द्वारा यह घोषणा करता/ करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई समस्त सूचनाएं/ विवरण मेरे संज्ञान में पूर्ण एवं सत्य हैं। यदि मेरे द्वारा कोई भी तथ्य/ विवरण छुपाया जाता है अथवा असत्य पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक:

प्रार्थी/प्रार्थिनी के हस्ताक्षर

अनापत्ति प्रमाण-पत्र (केवल कार्यरत कर्मियों के लिए)

1. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/ श्रीमती/ कु0 पुत्र/ पुत्री/ पत्नीजो कि इस संस्थान में दिनांक..... से कार्यरत हैं तथा वर्तमान में के पद पर वेतनमान..... ग्रेड वेतन..... में कार्यरत हैं।
2. आवेदक के विरुद्ध कोई भी विभागीय जाँच/ अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित/ विचाराधीन नहीं है।
3. चयनित होने पर आवेदक को अवमुक्त करने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक :

हस्ताक्षर

स्थान :

नाम :

पद :

दूरभाष :

(कार्यालय मोहर)